संख्या:- 9/2017/254/94-स्टा0नि0-2-2017-700(272)/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबंधन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 30 मई, 2017

विषय: त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण तरीके से जारी कराये गये विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की आधार आधारित हिन्दू विवाह पंजीकरण व्यवस्था के संबंध में शासन को कतिपय ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें त्रुटिवश अथवा धोखाधड़ी के आधार पर पक्षकारों के मध्य विवाह का आन-लाइन पंजीकरण हो गया है। संबंधित पक्षकारों से अथवा हितबद्ध व्यक्तियों से ऐसे विवाह पंजीकरण को निरस्त किये जाने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

2. उपरोक्त शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित पक्षकारों अथवा हितबद्ध व्यक्ति अपने अभिकथन के समर्थन में यथावश्यक साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन को महानिरीक्षक निबंधन को अथवा संबंधित पक्षकार के आवास के जनपद के सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन को उपलब्ध करा सकते हैं। महानिरीक्षक निबंधन इस हेतु सहायक महानिरीक्षक से अनिम्न स्तर के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, अथवा संबंधित जनपदीय सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन साक्ष्यों की तथा प्रकरण की जांच करते हुए तथा उसके बयान अंकित करते हुए उपयुक्त समझे जाने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण की संस्तुति महानिरीक्षक, निबन्धन को यथासंभव 15 दिन के अन्दर करेंगे। उक्त संस्तुति के आलोक में महानिरीक्षक, निबन्धन द्वारा उक्त विवाह पंजीकरण को विभागीय वेवसाइट से निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा उस पर निरस्तीकरण का कारण भी अंकित किया जाएगा।

3. वेवसाइट पर ऐसी व्यवस्था का सृजन करा लिया जाए, जिससे निरस्तीकरण के उपरांत उस प्रमाण-पत्र की प्रति पक्षकार को अथवा किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध न हो सके, तथा संबंधित प्रमाण-पत्र संख्या पर सकारण के उक्त विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण की सूचना ही उपलब्ध हो।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**अनिल कुमार**)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-9/2017/254(I)/94-स्टा0नि0-2-2017-700(272)/2017,तद्दिनांक

प्रतिलिपि- समस्त उप महानिरीक्षक/ सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in